

8-5-18 पञ्जाबली राजस्व लोक अदालत उमिमान न्याय
आपके क्रम-2018 के जलौ उप शिबिर में
कार्यालय टाजा पेश हुई। पञ्जाबली न्याय
उपस्थित ही लोक अदालत की भवना से
पञ्जाबली न्याय को रुका गया। पञ्जाबली

अवलोकन किया गया तो बाद पत्र जारी कर बिना
किसी आधार प्रमाण के पत्र किया जो बाद चलने
शेक नहीं है एवं बाद सिद्ध भी नहीं हो रहा है अतः
जारी का बाद खारिज किया गया। पत्रवली प्रसन्न
सुमार होकर इसे व्यवस्था में आने दो। आदेश खुली
पत्र अदालत में सुनाया गया।

रूप खण्ड अधिकारी
साँभर लोक